न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि. कोर्ट सं. 01, वाराणसी

मुकदमा संख्या - 1729/2022

हरिशंकर पाण्डेय बनाम मौलाना अब्दुल बाती वगै॰

थाना-चौक, वाराणसी

दिनांक- 14.02.2023

आवेदक हरिशंकर पाण्डेय के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) द॰प्र॰सं॰ पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में आवेदक द्वारा कथन किया गया है कि सिविल कोर्ट, वाराणसी द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन के द्वारा जब अदालत के द्वारा सर्वे की कार्यवाही हेतु ज्ञानवापी मस्जिद गया। शुक्रवार दिनांक 06.05.2022 को जुमे की नमाज अदा करने हजारों मुसलमान ज्ञानवापी पहुंचे जिन्होंने ज्ञानवापी की अवैध मस्जिद में वजू वजूखाने में जाकर पैर-हाथ धोया, कुल्ला किया, खखार कर थूका जो सारा गंदा पानी वजूखाने के बीच में बने हौज में जाता रहा। बगल में बने शौचालय में जाकर नमाजियों ने मल-मूत्र भी त्यागा जबकि नीचे तहखाने में विश्वनाथ जी मौजूद हैं। आगे की कमीशन की कार्यवाही में दिनांक 16.05.2022 को वजूखाने में बने हौज में से गन्दा पानी हटाने पर आदि विश्वेश्वर स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। उपरोक्त विपक्षीगण ने एक स्वर में साजिशन स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग को फौव्वारा कहकर काशीवासी आस्तिक श्रद्धालुजन के श्रद्धा व विश्वास पर कुठाराघात करते हुये जनमानस में विद्वेष फैलाने का काम किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव ने विवादित बयान दिया कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, झण्डा लगा दो तो वहीं मंदिर बन जाता है। यह शिवलिंग नहीं है यह केवल फव्वारा है जो वर्षों से बंद पड़ा है। असुद्दीन ओवैसी, सांसद व उनके भाई अकबरूद्दीन ओवैसी जो लगातार हिन्दुओं के धार्मिक मामलों एवं स्वयम्भू ज्योतिर्लिंग के खिलाफ अपमानजनक बयान देते जा रहे हैं। इसके लिये प्रार्थी ने दिनांक 17.05.2022 को पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट वाराणसी को पंजीकृत डाक से शिकायत-पत्र भेजा तथा 18.05.2022 को अपर पुलिस आयुक्त(मुख्यालय एवं अपराध) कमिश्नरेट वाराणसी से जाकर स्वयं मिला किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी पेशे से अधिवक्ता है और दीवानी कचहरी, वाराणसी में विधि व्यवसाय में कार्यरत है। विगत दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मस्जिद के वजू खाने के हौज में आराध्य देव भगवान आदि विश्वेश्वर का बहुत विशाल शिवलिंग है जिसपर नमाजी लोग वजू करते हैं जिसको लगातार पिछले 350 साल से जान-बूझकर हिन्दुओं के धार्मिक भावनाओं एवं श्रद्धा पर प्रहार करने के उद्देश्य से बाकायदा सुनियोजित ढंग से किया जाता रहा है जिसको दिनांक 16.05.2022 को सिविल अदालत ने स्थल को सील करने का आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में मस्जिद ज्ञानवापी के इंतजामिया कमेटी, शहर काजी, शहर के उलेमा आदि लोग साजिशन शामिल हो रहे हैं। इनके आचरण से हिन्दू समाज अत्यधिक मर्माहत हो रहा है। इनके खिलाफ धारा 153 (ए)(2), 505(3) IPC में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ किया जाना तथा दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ताकि हिन्दू समाज के भावनाओं को राहत व सम्मान मिल सके।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन से दर्शित है कि

1- प्रार्थनापत्र के पैरा 1 व 2 में वर्णित बिन्दु न्याय निर्णयन के अधीन है, जैसा कि प्रार्थी द्वारा स्वयं कथन किया गया है।

2- प्रार्थनापत्र के पैरा 3 वर्णित श्री अखिलेश यादव का कथित बयान व पैरा 4 में वर्णित असुद्दीन ओवैसी व अकबरूद्दीन ओवैसी के कथन के संबंध में यह कहना पर्याप्त है कि कानून व्यवस्था का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य व उसकी एजेंसियों का है और जिन भी घटनाओं और कथनों का उल्लेख किया जा रहा है उनके घटने या फिर न घटने के संबंध में मात्र प्रार्थी को ही जानकारी हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा पत्र भी प्रेषित किये जाने का कथन किया गया है। यदि राज्य

WWW.LIVELAW.IN

और उसकी एजेंसियों को कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति, कोई हिंसा के उकसावे की स्थिति उत्पन्न होती प्रतीत नहीं होती है तो फिर प्रार्थनापत्र संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से ऐसा अन्य विशेष आधार दर्शित नहीं होता है। राज्य के उक्त अभिनिर्धारण का अतिक्रमण वांछनीय व समीचीन बनाता हो।

इन परिस्थितियों में कोई संज्ञेय अपराध कारित होता दर्शित नहीं होता है। प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजि.
न्यायालय संख्या. 01 वाराणसी।

WWW.LIVELAW.IN